न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 31/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

शमीन जनरल स्टोर मोती कटला दरगाह क्षेत्र अजमेर
श्री शमीन असारी पुत्र श्री उस्मान अंसारी मोती कटला दरगाह थाने के सामने दरगाह क्षेत्र
पुलिस थाना दरगाह अजमेर .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 18.10.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार मोहर्रम मेले के दोरान घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के शमीम जनरल स्ओर मोती कटला, दरगाह क्षेत्र अजमेर पर पहुँचे । उक्त फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि में किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए । अप्रार्थी की उक्त दुकान से एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	187357	BPCL	15-5	18-5	3-0	Domestic Cylinder
2	एक छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर	-	-	-	-	-

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरो के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर एवं एक

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रायन गैस एजेन्सी अजमेर के कार्मिक श्री अय्यूब खां पुत्र श्री कय्यूम खा़ को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 03.08.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डरो को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 3.8.2022 को जिला रसद अधिकारी द्वारा मेरे विरूद्व घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध रूप से उपयोग करने पर मेरे विरूद्व धारा 6 ए के तहत कार्यवाही की गई है। मुझे कानून की जानकारी के अभाव में स्वयं अज्ञानतावंश उक्त कृत्य किया है आईन्दा मैं घरेलू गैस का उपयोग व्यवसायिक कार्य में नही करूगा । अतः जवाब स्वीकार हेतु निवेदन किया गया ।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 3.08.2022 के अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक छोटा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर